

मीडिया सेल
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या-342

उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी
आदि की जब्ती संबंधी निर्देशों का किया जा रहा कड़ाई से अनुपालन

01 मार्च से 28 मई तक कुल 50555.29 लाख रुपये कीमत की शराब,
ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी जप्त की गयी

28 मई को कुल 81.37 लाख रुपये कीमत की शराब,
ड्रग व नकदी जप्त

दिनांक 29 मई, 2024

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा 01 मार्च से 28 मई, 2024 तक कुल 50555.29 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी आदि जप्त किये गये। इसमें 9064.90 लाख रुपये नकद धनराशि, 5668.69 लाख रुपये कीमत की शराब, 24077.11 लाख रुपये कीमत की ड्रग, 2830.42 लाख रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं, 6090.32 लाख रुपये कीमत के मुफ्त उपहार एवं 2823.86 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जप्त की गयी।

आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा 28 मई, 2024 को कुल 81.37 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग व नकदी आदि जप्त की गई। इसमें 21.92 लाख रुपये कीमत की 8424.73 लीटर शराब, 48.20 लाख रुपये कीमत की 38297 ग्राम ड्रग एवं 11.24 लाख रुपये कीमत के 362198 मुफ्त उपहार की सामग्री जप्त की गयी।

28 मई, 2024 को प्रमुख जब्ती में जनपद बरेली की मीरगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 14.60 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 146 ग्राम ड्रग, जनपद श्रावस्ती की भिनगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 30.75 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 10250 ग्राम ड्रग पकड़ी गयी।
